

फर्द अहकाम

राजस्य - पत्रावली

खाद्यालय उपखण्ड अधिकारी, कुम्भलगढ़ जिला - राजसमन्त

173 सन् 2021 किस्म मुकदमा प्राथमिक

प्रेमशिव बनाम उपप्राध्यापक

आदेशिका

हस्ताक्षर/संख्या

22⁵/₂₄

प्राथमिक शास्त्र मूल वाद में प्राथमिक पत्रपेश
 इस पत्रावली तलब करते हैं प्राज पत्रावली प्रेमशिव
 पेश हुई। मूल वाद में शर्पवादी नहीं
 चाहते से मूल वाद खरीज हो चुका
 है। मूल वाद का निष्पत्ति हो जाने से
 आज इस प्रकरण में कोई शर्पवादी
 शेष नहीं रहती है व प्राथमिक शास्त्र
 कोई शर्पवादी नहीं चाहते से प्रकरण
 इसी स्तर पर खरीज दिव्य जात
 है। पत्रावली फैलल शुभाह हो कर
 माफ़त से सत हो। निर्णय हुले
 न्यायालय में युक्तान गण्य



सहायक कमिश्नर
 (एस.डी.ओ.) कुम्भलगढ़
 जिला-राजसमन्त

